BY. REGD. A.D. POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 249/2016

WP/8100/2015

From

Deputy Registrar, High Court of Judicature at Indore Against Adm.and IR. R/N for 08-03-2016 WP-DA-1 Respondent No. 1

मध्य प्रदेश श्रमसन मुह (प्रतिस) विभाग 131 शस्त्र, मंत्रातय स्ट 825

Indore 04-01-2016

To,

The State of M.P., Through Principal Secretary, Home Department, Vallabh Bhawan, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Notice to Respon

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8100/ 2015

STOFIG

Sir/Madam.

1 am directed to inform you that one M/s Ujjain Arms Thru. Fakhruddin has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8100/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on before 08-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.


(Scal of the Court) Encl: Copy of Petition



Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन गृह(पुलिस)विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल



-:आदेश:-

भोपाल, दिनांक 3 3 2016

क्रमांक एफ. 16—903/2007/बी—1/दो, सिविल प्रकिया संहिता 1988(1988) का अधिनियम संख्यक—5 के आदेश सत्ताईस के नियम 01 तथा 02 अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, म.प्र. को डब्ल्यू पी. क. 8100/2015 श्री फकरूव्दीन, मेसर्स उज्जैन आर्म्स विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन संजात होने के लिये नियुक्ति करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश में विधि और विधायी कार्य—विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातो के साथ ऐसा नीति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा—

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसा जांच करेगा, जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये ऐसा अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें कि मामलों के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय महाधिवक्ता को सहायता पहुंचाने की संभावना है,रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसे विभाग की राय भी रिपोर्ट विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (2) समस्त सुंसगत, फाइलों, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना आदेश एकत्रित करेगा ।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं के पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिसमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा ।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की ओर रिपोर्ट ।
 - (खं) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साध्य स्वरूप फाइलें करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
 - (ध) मामलें विदरीकरणों के लिये आवश्यक कागजात पत्रों की प्रतियां वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिए ।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का राहवोग और मामलें में उसके प्रकिया और प्रगति नियत किये गये कर्तव्यों को सदैव अवगत रखना ।
- (8) जब भी कोई आदेश निर्णय विशिष्टता मध्यप्रदेश के विरुद्ध पारित किया जाता है, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या कार्य दिवस को आवेदन करना

(9) प्रगति रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।

(10) यह देखना कि आवेदन करने में तथ्य प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने रिपोर्ट, बनाने, राय प्राप्त करने

और उसकी सचना देने में समय नष्ट न हो

(11) जैसे ही उसे अपनी स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । यदि वर्तमान पदभार सौप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जावे ।

(12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर समव सहयोग देगा कि तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपर्ण तथ्य या दरतावेज अप्रकट/छूपा नहीं रह जाये ।

(13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही बाद को विनिश्वत होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष, के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजा जाये ।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्र है, तो वह इस बात के लियें उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में किसी वाद में प्रकम में पारित किये गये किसी अंतरिम पुनरीक्षण अपेक्षित है, तथा वाद पर कार्यवाही की गई है । अतएव उसकी प्रति जैसे ही वह पारित किया जाकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें ।

> गध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार

(डीoएसoमुकाती) अवर सचिव भाषाल,श्रिकासन,गृह विभाग भोपाल,दिनांक 3/3/2016

पृ०क0 एफ. 16-903/2007/बी-1/दो, प्रतिलिपि:-

1- महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मान० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,

2- प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल

3— पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय, भोपाल,

4— जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5— अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला—उज्जैन म.प्र. एवं एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। कृपया शासकीय अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर प्रकरण में प्रतिरक्षण की कार्यवाही करने एवं प्रकरण से मुख्य सिवव, म.प्र.शासन का नाम विलोधित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर, की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करायें।

> अवर सचिव म०प्र०शासन् गृह विभाग